

सामीप्य सेवा शिदिर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक / रीडर / 2025 / 3905

दिनांक 17/10/2025

सनवानी प्रकरण:- रामावतार वनाम् भूमिधारी तहसीलदार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956
मुकदमा संख्या:- 152 / 2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 09 / गूअ. / 2025 दिनांक 25/09 / 2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत गिजवाय गये राजस्व ग्राम रुमपुरा पटवारी हल्का फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खाता संख्या 164,523 में खातेदार रामावतार पुत्र दुंगाराम जाति अहीर के स्थान पर रामावतार यादव पुत्र दुंगाराम जाति अहीर का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का फुटाला उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालनों रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

34
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनांक 17/10/2025

कमांक / रीडर / 2025 / 3906-07

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

34
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)